

प्रेषक,

मिशन निदेशक,  
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ०प्र०,  
विशाल काम्प्लेक्स, 19-ए, विधान सभा मार्ग  
लखनऊ।

सेवा में,

- 1- समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी,  
उत्तर प्रदेश।
- 2- समस्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका,  
उत्तर प्रदेश।

पत्रसंख्या:एस०पी०एम०यू/एम०आई०एस०/डाटा कार्ड/2016-17/50-ए/

5358-2  
दिनांक: 15-9-16

विषय :राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत वर्ष 2016-17 में 128 जिला चिकित्सालयों एवं 823 ब्लॉक पीएमयू में इंटरनेट कनेक्टिविटी की धनराशि अवमुक्त किए जाने के संबंध में।

महोदय/महोदया,

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त आर०ओ०पी० 2016-17 (ROP Ref. no. 10(15)/2016-NRHM-I Dated 08-08-2016) में प्राप्त स्वीकृति एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के राज्य कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 24.08.2016 के एजेण्डा मद संख्या 87.56 में लिये गये निर्णय के क्रम में, मिशन प्लैक्सीपूल में एच०एम०आई०एस० एवं एम०सी०टी०एस० के अन्तर्गत एफएमआर कोड B15.3.2.7- Internet Connectivity through LAN / data card में निम्नानुसार स्वीकृति प्रदान की गयी है:-

Approved Rs. 122.40 Lakh for internet connectivity through LAN/ data cards @ Rs. 5,000/- per month for State M&E Cell, @ Rs.1,500/- per month per District Hospital for 128 District Hospitals and @ Rs 1,000/- per month per block for 823 blocks. This is subject to 100% facility based reporting on HMIS & MCTS portal and improvement in data quality thereof. These are indicative rates, final rates are to be arrived at as per DGS & D rate contract or after competitive bidding following Government protocols.

उक्त मदों में स्वीकृत धनराशि के व्यय हेतु मानकों का विवरण निम्नानुसार है:-

- Rs.1,500/- per month per District Hospital for District Hospitals.
- Rs 1,000/- per month per block for 823 block HMIS computers.

B15.3.2.7- Internet Connectivity through LAN / data card (01-04-16 to 31-03-2017)

No. (1)	Districts (2)	No. of Block (3)	DCH (4)	DMH (5)	DWH (6)	Total (7)= (4+5+6)	Amount in Rs. ( Col 3 X Rs 12000+ Col 7 X Rs 18000/ DHs)
1	Agra	15	-	1	1	2	216000
2	Aligarh	12	1	1	1	3	198000
3	Allahabad	20	-	2	1	3	294000
4	Ambedkar Nagar	9	1	-	-	1	126000
5	Amethi(CSIM Nagar)	13	-	-	-	-	156000
6	Amroha (J P Nagar)	6	-	-	-	0	72000
7	Auraiya	7	-	-	-	0	84000
8	Azamgarh	22	-	1	1	2	300000
9	Bagpat	6	-	-	-	0	72000
10	Bahraich	14	-	1	1	2	204000
11	Ballia	17	-	1	1	2	240000
12	Balrampur	9	-	1	1	2	144000
13	Banda	8	-	1	1	2	132000
14	Barabanki	15	-	1	1	2	216000
15	Bareilly	15	-	1	1	2	216000

No. (1)	Districts (2)	No. of Block (3)	DCH (4)	DMH (5)	DWH (6)	Total (7)= (4+5+6)	Amount in Rs. ( Col 3 X Rs 12000+ Col 7 X Rs 18000/ Dhs)
16	Basti	14	-	1	1	2	204000
17	Bijnor	11	1	-	1	2	168000
18	Budaun	15	-	1	1	2	216000
19	Bulandshahar	16	1	1	1	3	246000
20	Chandauli	9	-	1	-	1	126000
21	Chitrakoot	5	1	-	-	1	78000
22	Deoria	16	-	1	1	2	228000
23	Etah	8	-	1	1	2	132000
24	Etawah	8	-	1	1	2	132000
25	Faizabad	11	-	1	1	2	168000
26	Farrukhabad	7	-	1	1	2	120000
27	Fatehpur	13	-	1	1	2	192000
28	Firozabad	9	1	1	1	3	162000
29	G B Nagar(Noida)	4	1	-	-	1	66000
30	Ghaziabad	4	1	1	1	3	102000
31	Ghazipur	16	-	1	1	2	228000
32	Gonda	16	-	1	1	2	228000
33	Gorakhpur	19	-	1	1	2	264000
34	Hamirpur	7	-	1	1	2	120000
35	Hapur	4	-	-	-	-	48000
36	Hardoi	19	-	1	1	2	264000
37	Hathras	7	1	-	1	2	120000
38	Jalaun	9	-	1	1	2	144000
39	Jaunpur	21	-	1	1	2	288000
40	Jhansi	8	-	1	1	2	132000
41	Kannauj	8	1	-	-	1	114000
42	Kanpur Dehat	10	1	-	-	1	138000
43	Kanpur Nagar	10	-	2	1	3	174000
44	Kashganj(KR Nagar)	7	-	1	-	1	102000
45	Kaushambi	8	1	-	-	1	114000
46	Kushinagar(Padrauna)	14	1	-	-	1	186000
47	Lakhimpur Kheri	15	-	1	1	2	216000
48	Lalitpur	6	-	1	1	2	108000
49	Lucknow* (+3 Block)	11	1	1	2	4	204000
50	Maharajganj	12	1	-	-	1	162000
51	Mahoba	4	1	-	1	2	84000
52	Mainpuri	9	-	1	1	2	144000
53	Mathura	10	-	1	1	2	156000
54	Mau	9	1	-	-	1	126000
55	Meerut	12	-	1	1	2	180000
56	Mirzapur	12	-	1	1	2	180000
57	Moradabad	8	-	1	1	2	132000
58	Muzaffarnagar	9	-	1	1	2	144000
59	Pilibhit	7	-	1	1	2	120000
60	Pratapgarh	17	-	1	1	2	240000
61	Rae Bareli	18	-	1	1	2	252000
62	Rampur	6	-	1	1	2	108000
63	Saharanpur	11	-	1	1	2	168000
64	Sambhal	8	-	-	-	-	96000
65	Sant Kabir Nagar	9	-	-	-	0	108000
	Sant Ravidas Nagar	6	-	1	-	1	90000

No. (1)	Districts (2)	No. of Block (3)	DCH (4)	DMH (5)	DWH (6)	Total (7)= (4+5+6)	Amount in Rs. ( Col 3 X Rs 12000+ Col 7 X Rs 18000/ DHs)
	(Bhadohi)						
67	Shahjahanpur	15	-	1	1	2	216000
68	Shamli	5	-	-	-	-	60000
69	Shrawasti	5	-	-	-	0	60000
70	Siddharth Nagar	14	1	-	-	1	186000
71	Sitapur	19	-	1	1	2	264000
72	Sonbhadra	8	1	-	-	1	114000
73	Sultanpur	13	-	1	1	2	192000
74	Unnao	16	-	1	1	2	228000
75	Varanasi	8	-	3	1	4	168000
		823	19	56	53	128	12180000.00

रु0 1,21,80,000.00 (रु0 एक करोड़ इक्कीस लाख अस्सी हजार मात्र)।

इण्टरनेट कनेक्टिविटी लेन/डाटा कार्ड के माध्यम से

128 जिला चिकित्सालयों में इण्टरनेट कनेक्टिविटी हेतु रु0 1,500.00 प्रति माह की दर से एवं ब्लॉक कार्यक्रम इकाइयों में इण्टरनेट कनेक्टिविटी हेतु रु0 1,000.00 प्रति माह प्रति ब्लाक की दर से बजट प्राविधानित किया गया है। इस धनराशि का उपयोग इण्टरनेट कनेक्टिविटी के मासिक बिल के भुगतान, नजदीक के स्वान सेंटर्स (SWAN- state wide Area Network) अथवा साइबर कैंफे के द्वारा इण्टरनेट के माध्यम से ब्लाक/जनपद/प्रदेश मुख्यालय सूचनाएं प्रेषित करने के लिए किया जाएगा।

व्यय सम्बन्धी विस्तृत दिशा-निर्देश:

1. धनराशि का आवंटन मात्र आपको व्यय करने के लिये प्राधिकृत नहीं करता, अपितु ऑपरेशनल गाइडलाइन फॉर फाइनेंशियल मैनेजमेन्ट में दी गयी व्यवस्था, वित्तीय नियमों, शासनादेशों, अन्य प्रभावी नियमों/निर्देशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए, सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जाय। जिस कार्यक्रम/मद में धनराशि आवंटित की गयी है उसी सीमा तक व्यय नियमानुसार किया जाये।
2. स्वीकृत मद का पुर्नविनियोग (re-appropriation) राज्य कार्यकारी समिति, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश की अनुमति के बिना कदापि न किया जाये। साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित किया जाये कि एक कार्यक्रम की धनराशि दूसरे कार्यक्रमों में स्थानान्तरित न की जाये। धनराशि के व्यय में यदि कोई अनियमितता होती है तो इसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।
3. जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाइयों के वित्तीय अभिलेख कैशबुक, बैंक बुक, लेजर, बैंक इश्यू रजिस्टर, स्थायी सम्पत्तियों का रजिस्टर आदि लेखापुस्तकों में सभी प्रविष्टियों समय से पूर्ण कराये साथ ही समयानुसार सत्यापन भी सक्षम अधिकारी करना सुनिश्चित करें।
4. जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाइयों के बैंक समाधान विवरण प्रत्येक माह के अन्त में तैयार करना सुनिश्चित कराये जिससे बैंक खातों तथा सोसाइटी एवं समस्त इकाइयों के लेखों में कोई भिन्नता न रहें।
5. आपके स्तर से समस्त इकाइयों को अग्रिम के रूप में अवमुक्त की गयी धनराशियों के उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त करते हुए अपनी लेखापुस्तकों में समायोजन दर्शाना सुनिश्चित करें।
6. प्रत्येक माह का मासिक व्यय विवरण (एफ0एम0आर0) लेखापुस्तकों की प्रविष्टियों से मिलान कर तैयार किया जाये तथा यह भी सुनिश्चित कर लें कि प्रत्येक माह की एफ0एम0आर0 में दर्शायी गयी धनराशि एवं लेखापुस्तकों में प्रविष्टि की गयी धनराशि में मदवार कोई अन्तर न रहें।


7. व्यय से सम्बन्धित समस्त लेखावहियाँ, बिल वाउचर्स व अन्य अभिलेखों को अपने स्तर पर सुरक्षित रखें एवं नियुक्ति मासिक कान्करेन्ट आडिटर, स्टेटच्यूरी आडिटर, महालेखाकार की आडिट एवं सक्षम निरीक्षण अधिकारी हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

8. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये आपरेशनल गाइडलाइन्स फार फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट (अद्यावधिक संशोधित) में दिये गये दिशा निर्देशों एवं प्रक्रिया का पालन समस्त स्तरों पर किया जाना सुनिश्चित करें।

9. भारत के नियंत्रक/महालेखा परीक्षा द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश, के परफारमेन्स आडिट रिपोर्ट में उठाई गयी मुख्य आपत्तियों के परिप्रेक्ष्य में मुख्य सचिव, महोदय उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशों के अन्तर्गत गठित समिति की दिनांक 01.06.2012 को सम्पन्न हुई बैठक में समिति द्वारा की गयी संस्तुतियों की प्रति पत्र संख्या SPMU /NRHM/ACCOUNT/490-8 दिनांक 13.06.2012 के द्वारा करायी गयी है, को संज्ञान में लेना सुनिश्चित करें।

उपरोक्त निर्देशों का पालन प्रत्येक स्तर पर सुनिश्चित किया जाये। नियमों का पालन न करने एवं वित्तीय अभिलेखों का रख-रखाव ठीक न होने के कारण यदि धनराशि का व्यय नियमानुसार नहीं पाया जाता है या अन्य कोई वित्तीय अनियमितता प्रकाश में आती है तो इसके लिये सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

भवदीय,

  
(आलोक कुमार)  
मिशन निदेशक

पत्रसंख्या:एस0पी0एम0यू/एम0आई0एस0/डाटा कार्ड/2016-17/50-ए/  
निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

तददिनांक

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. महानिदेशक, परिवार कल्याण, परिवार कल्याण महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त मण्डलीय परियोजना प्रबंधक, एन0आर0एच0एम0, उत्तर प्रदेश।
8. महाप्रबन्धक-एम0आई0एस0, एन0आर0एच0एम0, एस0पी0एम0यू0, को इस आशय से प्रेषित कि पत्र की प्रति एन0एच0एम0 की वेबसाइट [www.upnrhm.gov.in](http://www.upnrhm.gov.in) पर अपलोड करवाने का कष्ट करें।
9. समस्त जनपदीय कार्यक्रम प्रबन्धक-एन0आर0एच0एम0, उत्तर प्रदेश।

(बी0के0 जैन)

महाप्रबन्धक-एम0आई0एस0